राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, एकलव्य भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017
दूरभाषः 0141–2709846, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com

क्रमांक : रा.मा.शि.प/जय/SIQE / 2017–18/4973 दिनांक : 24/07/2017

जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि)
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक
रामाशिअ–समस्त जिला

विषय :–विद्यालय प्रतिपुष्टि और प्रमाणीकरण (FeedBack and Certification) हेतु दिशा–निर्देशों को जारी करवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य के प्रथम चरण के आदर्श विद्यालयों, ब्लॉक रिसोर्स विद्यालयों एवं कुछ चयनित द्वितीय चरण के आदर्श विद्यालयों (सूची संलग्न) में एस.आई.क्यू.ई. कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय प्रतिपुष्टि एवं प्रमाणीकरण (FeedBack and Certification) किया जाना है, जिसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक दिशा–निर्देश संलग्न कर भिजवाये जा रहे है। संलग्न निर्देशों के अनुसार समयबद्व कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(सुरेश चन्द्र)
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद,
जयपुर

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप., जयपुर।
3. निजी सहायक आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/ प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. निजी सहायक निदेशक एस.आई.ई.आर.टी उदयपुर को देकर अनुरोध है कि उक्त कार्य में सहयोग हेतु डाइट प्रधानाचार्य को निर्देश प्रदान करने का श्रम करावें।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप., जयपुर।
7. उपायुक्त (एस.आई.क्यू.ई.) रामाशिप जयपुर।
8. निदेशक, बोध शिक्षा समिति कूकस जयपुर।
9. जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.) एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिला, को देकर लेख है कि संलग्न निर्देशों के अनुरूप समयबद्व कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
10. यूनिसैफ, जयपुर।
11. प्रधानाचार्य, संबंधित विद्यालय समस्त जिला।
12. प्रभारी शाला दर्पण, रामाशिप. जयपुर।
13. कार्यालय प्रति।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद,
जयपुर

एसआईक्यूइ शैक्षणिक गुणवत्ता एवं प्रशस्ति हेतु

दिशा–निर्देश

परिचय

राजस्थान सरकार द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के लिए संचालित एसआईक्यूई कार्यक्रम का मूल उद्देश्य जमीनी स्तर पर बदलाव लाना है, इस उद्देश्य के तहत बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियाँ और शैक्षिक गुणवत्ता पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया गया है। कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य एक और बच्चों के अधिगम स्तर में सुधार लाना और इस बात को सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चे अपनी आयु–अनुरुप कक्षा–स्तर को प्राप्त कर सकें और दूसरी ओर बच्चों का समग्र विकास जिसके अंतर्गत कलात्मक अभिव्यक्ति, स्वास्थ्य, सामाजिक कौशल का विकास आदि भी सम्मिलित है। ऐसे किसी भी बदलाव हेतु हमें अपने सीखने–सिखाने, आकलन एवं उसकी तैयारी से जुड़े तरीकों की समीक्षा एवं उनमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। एसआईक्यूई शैक्षणिक गुणवत्ता एवं प्रशस्ति प्रकिया प्रतिपुष्टि एवं प्रमाणीकरण इन्हीं प्रक्रियात्मक पक्षों के आधार पर निर्मित किया गया है और आकलन एवं सीखने–सिखाने से जुड़ी प्रक्रियाओं को ठीक से समझ कर प्रतिपुष्टि प्रदान करना इस प्रक्रिया के केन्द्र में है। यह स्पष्ट रूप से उभर कर आ रहा है कि जो भी विद्यालय जैसे–जैसे अपनी बुनियादी प्रक्रियाओं को एसआईक्यूई के अनुरुप ढालते जा रहे हैं, उनके बच्चों के शैक्षणिक स्तर और विद्यालय की गुणवत्ता पहले से बेहतर हो रही है। इस उद्देश्य के साथ एसआईक्यूई शैक्षणिक गुणवत्ता एवं प्रशस्ति प्रकिया विद्यालय के लिए अपनी प्रक्रियाओं को और करीब से देखने एवं पहले से बेहतर बनाने में सहयोगी रहेगी।

इस वर्ष इस प्रक्रिया के अंतर्गत चिह्नित 2000 समन्वित राजकीय आदर्श विद्यालयों को ही सम्मिलित किया जाना है जिसमें प्रथम चरण के 1340 आदर्श विद्यालय, 302 ब्लॉक रिसोर्स विद्यालय एवं द्वितीय चरण के कुछ चयनित विद्यालय शामिल होंगे। विद्यालय शैक्षणिक गुणवत्ता एवं प्रशस्ति प्रकिया में 3.00 का स्कोर प्राप्त करने वाले विद्यालयों के संस्था प्रधानों को राजकीय समारोह में राज्य/जिला स्तर पर शैक्षणिक गुणवत्ता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

एसआईक्यूई शैक्षणिक गुणवत्ता एवं प्रशस्ति प्रकिया के अंतर्गत मुख्य प्रक्रियाएँ

विद्यालय प्रतिपुष्ट एवं प्रमाणीकरण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यालयों को एक विश्वसनीय प्रतिपुष्टि प्रदान हो सके, जिसके आधार पर वे सुधारात्मक कार्य कर गुणात्मक रूप से आगे बढ़ सकें। सही प्रतिपुष्टि देने के लिए यह आवश्यक है कि प्राथमिक कक्षाओं में दिए गए इनपुट को सही से समझा जाए, ताकि वांछित परिणाम प्राप्त हो सके। एसआईक्यूई कार्यक्रम की संकल्पना के अनुरुप कक्षा–कक्ष या विद्यालय स्तर पर अपेक्षित प्रक्रिया को निम्न तीन चरणों में देखा जा सकता है–

चरण–1 : यह चरण उन सभी मूलभूत बिन्दुओं या प्रक्रियाओं की ओर निर्देशित करता है जिन्हें न्यूनतम माना जा सकता है या जिनकी अनुपस्थिति में एसआईक्यूई कार्यक्रम की व्यवस्थित शुरुआत भी नहीं की जा सकती। इन बिन्दुओं को योजना, कक्षा–कक्षीय प्रक्रिया, आकलन एवं प्रधानाचार्य के नेतृत्व के अंतर्गत रखा गया है। कोई भी विद्यालय यदि चरण–1 में ही रहता है, तो वह इस बात की ओर इंगित करता है कि उस विद्यालय में अभी भी एसआईक्यूई कार्यक्रम के अनुरुप न्यूनतम

प्रक्रियाओं को भी सुनिश्चित नहीं किया गया है। इसलिए इस चरण के अंतर्गत सम्मिलित सूचकों के विन्यास को नकारात्मक वाक्यों के रूप में दर्शाया गया है।

<u>चरण–2</u> : चरण–2 दर्शाता है कि न्यूनतम प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक सही दिशा में निर्वाहित किया जा रहा है। विद्यालय मूल प्रक्रिया के संदर्भ में बेहतरी की ओर बढ़ते नज़र आ रहे हैं और स्पष्ट दिशा लिए गंभीर प्रयासों के आधार पर गुणात्मक परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। इसी कारण इस चरण के अंतर्गत सभी सूचकों को सकारात्मक रूप से दर्शाया गया है।

<u>चरण–3</u> : यह अंतिम चरण है और इस चरण के अंतर्गत मुख्य प्रक्रियाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वित माना गया है। इस चरण में पाए जाने वाले विद्यालय को एसआईक्यूई कार्यक्रम के अनुरूप बच्चों को व्यवस्थित रूप से सीखने–सिखाने की प्रक्रिया में जोड़ पाने वाले विद्यालयों के रूप में देखा जा सकता है। ये विद्यालय इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इनके अनुभवों एवं उदाहरण के आधार पर अन्य विद्यालयों तक संबलन पहुँचाया जा सकता है।

अवलोकन प्रपत्र

केआरपी एवं जिला कोर समिति द्वारा विद्यालय अवलोकन के समय जिन सूचकों (Indicators) को आधार बनाकर विद्यालय अवलोकन किया जायेगा वे निम्नानुसार है–

सूचक	शिक्षण सतत आकलन योजना एवं समीक्षा प्रक्रिया प्रदर्शन सूचक	कक्षा–कक्षीय प्रक्रिया वातावरण एवं साज–सज्जा प्रदर्शन सूचक	आकलन / मूल्यांकन प्रदर्शन सूचक	संस्था प्रधान / हैडटीचर प्रदर्शन सूचक
उपसूचक	• शिक्षण योजना • सतत आकलन योजना • समीक्षा	• बैठक व्यवस्था • छात्र–अध्यापक का संबंध • कक्षा का नियोजन • डिस्प्ले की स्थिति	• रचनात्मक आकलन • योगात्मक आकलन • आकलन दर्ज करने की प्रक्रिया एवं स्थिति	• संस्था प्रधान द्वारा नेतृत्व • कक्षा–कक्षीय संबंलन

किसी भी कक्षा में प्रयुक्त शिक्षण–विधा का समग्र आकलन करने हेतु विभिन्न पक्षों को समझने की आवश्यकता होती है। इस अवलोकन के अंतर्गत इन सभी पक्षों को समग्र एवं व्यवस्थित रूप से देखा जा सके, इस हेतु उपरोक्तानुसार आवेदन प्रपत्र में दिए गए सूचकों एवं उन सूचकों के अन्तर्गत छोटे–छोटे उपसूचकों के आधार पर अवलोकन प्रपत्र का निर्माण किया गया हैं।

सभी अवलोकनकर्ताओं के लिए अवलोकन प्रपत्र के साथ दिशा–निर्देश दिए जायेंगे, जो हमें विद्यालयों को बेहतर रूप से समझने में उपयोगी रहेंगे। इस प्रपत्र के उपयोग से किसी भी विद्यालय के विकास के चरण विद्यालय विकास चरण हेतु सूचकों से समझे जा सकता हैं। विद्यालय अवलोकन हेतु दिए दिशा–निर्देश को गंभीरता से समझने एवं उस आधार पर अवलोकन किया जाना अनिवार्य हैं।

स्कोरिंग

जैसा बताया गया है कि SIQE विद्यालय के विकास सूचक तीन चरणों में देखे जा सकते हैं जो निम्नानुसार है–

- चरण–1 विद्यालय में कक्षा कक्षीय एवं सीखने सिखाने की मूल प्रक्रियाओं का अभाव होगा।
- चरण–2 विद्यालय कक्षा कक्षीय एवं सीखने सिखाने की मूल प्रक्रियाओं पर विद्यालय की बढती समझ को दर्शाता हैं।
- चरण–3 विद्यालय कक्षा कक्षीय एवं सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं पर पुख्ता समझ को दर्शाता हैं।

उपरोक्त चरणों के संबंध में विस्तृत SIQE विद्यालय विकास सूचक **संलग्न–1** के अनुसार हैं।

इन चरणों को ध्यान रखते हुए किसी भी विद्यालय की स्कोरिंग हमे उसकी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दे सकती हैं। उपर्युक्त चरणों को निम्नानुसार तीन स्कोर की रेंज में बाँटा गया हैं :

(a) चरण–1 के विद्यालयों को 0–1 के बीच स्कोर दिया गया है।
(b) चरण–2 पूर्ण करने वाले विद्यालयों को 1–2 के बीच में स्कोर दिया गया है।
(c) चरण 3 पूर्ण करने वाले विद्यालयों को 2–3 के बीच स्कोर दिया गया है।

जैसा कि पहले बताया गया हैं कि उपरोक्त चरण यह दर्शाते हैं कि विद्यालय में एसआईक्यूई कार्यक्रम के अन्तर्गत की जाने वाली प्रक्रियाएँ किस स्तर पर की जा रही हैं और प्रत्येक चरण में दिए जाने वाले स्कोर यह बताते हैं कि अवलोकित विद्यालय (अगले चरण को प्राप्त करने से कितना दूर है) उस चरण के अन्तर्गत रखी प्रक्रियाओं को कितना प्रभावी बना पाया हैं एवं इससे यह भी स्पष्ट होगा कि विद्यालय को अगले चरण की ओर अग्रसर होने के लिए किन–किन आयामों पर कार्य करने की आवश्यकता हैं।

किसी भी चरण को पूर्ण करने हेतु विद्यालय को **संलग्न** 1 पर विकास सूचकों के अनुरूप न्यूनतम बिंदुओं की विद्यालय स्तर पर क्रियान्विति आवश्यक होगी। उदाहरणतः यदि कोई विद्यालय चरण 1 पर है तो यह उस विद्यालय में सीखने सिखाने की मूल प्रक्रिया के अभाव की ओर इंगित करता है। चरण 1 की पूर्ति करने के लिए 25 प्रतिशत बिन्दुओं या कम स्कोर की आवश्यकता पड़ेगी (क्योंकि चरण 1 प्रक्रियाओं के अभाव को दर्शाता है एवं 25 प्रतिशत से अधिक का स्कोर अभाव की अधिकता को दर्शायेगा) एवं चरण–2 में 23 और 3 के लिए 28 विकास सूचकों के 75 प्रतिशत बिंदुओं की पूर्ति आवश्यक होगी।

प्रतिपुष्टि एवं प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यालय का दो बार अवलोकन किया जायेगा। प्रथम बार केआरपी एवं समकक्ष व्यक्ति द्वारा एवं दूसरी बार जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा अवलोकन किया जायेगा। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि जिन विद्यालयों का दूसरे स्तर का अवलोकन होता है उनका स्कोर और स्तर भी बदल सकता है और इसी स्तर के अनुरुप ही प्रमाण पत्र दिया जायेगा। द्वितीय अवलोकन के पश्चात पहले अवलोकन का स्कोर और स्तर मान्य नही होगा।

प्रतिपुष्टि हेतु आवेदन, सत्यापन एवं सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया

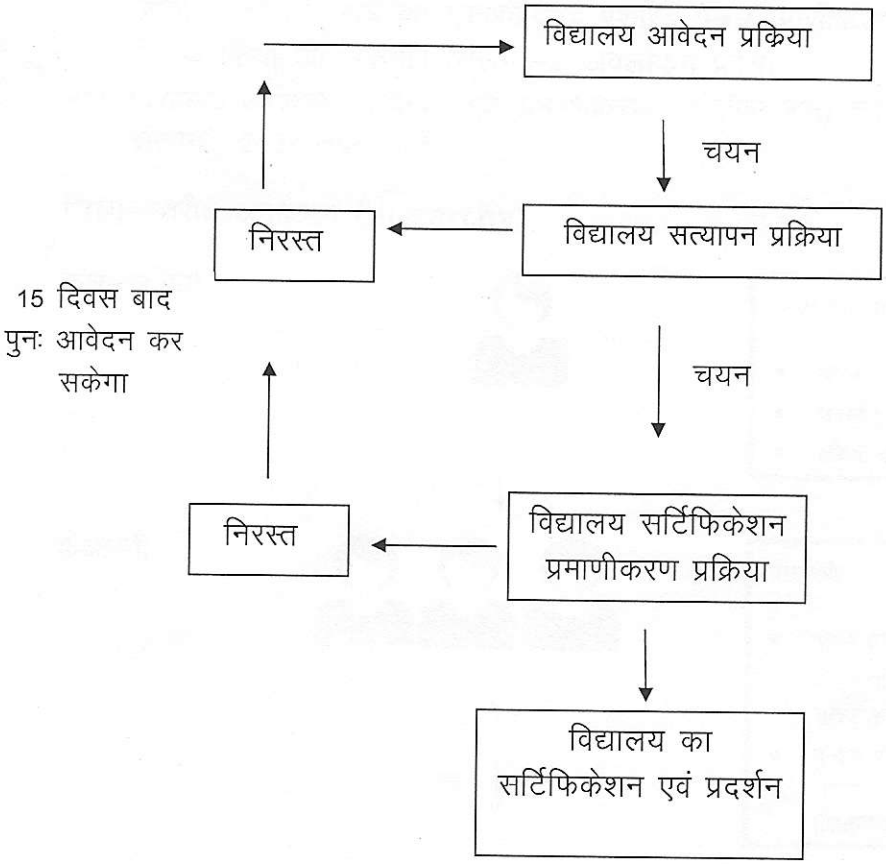

प्रतिपुष्टि और प्रमीणकरण के अंतर्गत 3 आवश्यक प्रक्रियाएँ, जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है –

1. **विद्यालय आवेदन प्रक्रिया :** इस प्रक्रिया का सबसे पहला चरण विद्यालय आवेदन प्रपत्र है। इसमें विद्यालय आवेदन देते हैं और एसआईक्यूई प्रक्रिया पर आधारित कुछ प्रश्नों के जवाब देते हैं जिसके आधार पर अगले चरण हेतु चयन होगा। **(संलग्न–2)**

2. **विद्यालय सत्यापन प्रक्रिया :** एक बार जब विद्यालय चयन प्रक्रिया पार कर लेते हैं, तो जिले के कुछ चयनित केआरपी (KRP) इन विद्यालयों में जाकर इनका प्राथमिक अवलोकन करेंगे और इसके द्वारा प्रक्रियाओं की प्राथमिक पुष्टि होगी। यह एक विस्तृत प्रक्रिया हैं और इसके आधार पर विद्यालय की प्राथमिक कक्षाओं पर एक विस्तृत प्रतिपुष्ट प्रदान की जा सकेगीं। **(संलग्न–3, अवलोकन प्रपत्र)**

3. **विद्यालय सर्टिफिकेशन – प्रमाणीकरण प्रक्रिया :** वे सभी विद्यालय जिनका स्कोर 2.75 या अधिक आए, उन सभी का जिला कोर–समिति द्वारा एक और अवलोकन किया जाता हैं। यह प्रक्रिया भी विद्यालय सत्यापन प्रक्रिया की तरह विस्तृत रूप से की जानी हैं और जिन विद्यालयों का स्कोर 2.75 या अधिक आए उनको एसआईक्यूई अनुरुप प्रमाणित किया जायेगा। जो विद्यालय प्रमाणीकरण हेतु वांछित स्कोर नहीं कर पाते है उन्हे उन सभी बिन्दुओं पर प्रतिपुष्टि प्राप्त होगी जिनमें प्रक्रियात्मक सुधारों की आवश्यकता है। यह प्रमाणीकरण 2 वर्ष के

लिए मान्य होगा परन्तु डाइट प्राचार्य अथवा जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वारा इस समय अवधि के दौरान पुनः विद्यालय अवलोकन करने पर विद्यालय की स्थिति असंतोषजनक पायी जाती है तो विद्यालय का एसआईक्यूई प्रशस्ति पत्र/प्रमाणीकरण 2 वर्ष पूर्ण होने से पहले भी निरस्त किया जा सकेगा। **(संलग्न–3, अवलोकन प्रपत्र)**

नोट–विद्यालय आवेदन, सत्यापन एवं प्रमाणीकरण (सर्टिफिकेशन) की प्रक्रिया का Pictorial विवरण **संलग्न– 2** पर उपलब्ध है।

जिला–स्तरीय अनुक्रमण (Hierarchy)

कोर–समिति

जिला कोर–समिति

- अध्यक्ष : डाइट प्राचार्य
- सदस्य : डीईओ/डीईईओ, एडीपीसी, डीएसएफ
- प्रक्रिया की जिम्मेदारी सभी सदस्यों की होगी

केआरपी

केआरपी

- राज्य द्वारा एसआईक्यूई प्रशिक्षित शिक्षक
- प्रधानाचार्य, वरिष्ट व्याख्याता, व्याख्याता, डाइट संकाय सदस्य
- प्रत्येक केआरपी अपने साथ अपने ही द्वारा चयनित एक और व्यक्ति ले जा सकता है। (शिक्षक या प्रधानाध्यापक)

विद्यालय

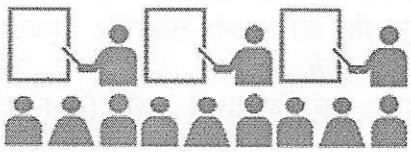

विद्यालय

- चयनित सभी विद्यालय जिनमें एसआईक्यूई चल रहा हो उनके द्वारा सर्टिफिकेशन प्रक्रिया में भाग लिया जायेगा।

समय–सीमा :

विद्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन एवं अवलोकन प्रक्रिया प्रारंभ (जुलाई 2017 से) :

- विद्यालय द्वारा आवेदन 24 जुलाई 2017 से 20 अक्टूबर 2017 के मध्य कभी भी किया जा सकता है।
- विद्यालय का आवेदन निरस्त होने पर विद्यालय द्वारा 15 दिन के अन्तराल में पुनः आवेदन किया जा सकता हैं।
- विद्यालय सत्यापन और प्रमाणीकरण प्रक्रिया आवेदन से ही प्रारम्भ हो जायेगी।

सत्यापन एवं अवलोकन प्रक्रिया प्रारंभ (जुलाई 2017 से) :

- विद्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन किये जाने के पश्चात सत्यापन और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया आरंभ की जायेगी।
- जिला कोर समिति द्वारा चयनित विद्यालयों के सत्यापन हेतु केआरपी का चयन किया जायेगा।

- केआरपी चयन के पश्चात चयनित केआरपी द्वारा 15 दिन के भीतर सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी।

सर्टिफिकेशन प्रक्रिया एवं प्रदर्शन (जून 2018) :

- जिला कोर समिति द्वारा सत्यापित विद्यालयों के सर्टिफिकेशन प्रक्रिया हेतु डाइट एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की संयुक्त टीम का चयन किया जाकर विद्यालय अवलोकन किया जायेगा।
- प्रत्येक जिले के डाइट प्रधानाचार्य को लॉगइन ID और पासवर्ड दिया गया है। जिससे विद्यालयों की प्रगति देखी जा सकती है।
- अंतिम रूप से प्रमाणित/सर्टिफाइड विद्यालयों को दिया गया प्रमाण पत्र 2 साल के लिए मान्य होगा।
- कोर समिति द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया जून 2018 तक पूर्ण किया जाना है।

विद्यालयों हेतु दिशा–निर्देश :

1. सभी चयनित विद्यालयों द्वारा आवेदन किया जाना अनिवार्य है। जिला कोर समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि समस्त विद्यालयों द्वारा आवेदन किया जाये। विद्यालय तीन माह की समय अवधि में अपनी तैयारी के अनुसार कभी भी आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
2. सभी चयनित विद्यालयों को 3 महीने के अंदर आवेदन करना होगा अर्थात जुलाई 24, 2017 से लेकर अक्टूबर 20, 2017 तक। इस हेतु शाला दर्पण पर जाकर विद्यालय लॉगइन आईडी से लॉगिन करने पर वहाँ दिये गये लिंक पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।
3. आवेदन करने वाले विद्यालयों को एक आवेदन क्रमांक दिया जायेगा।
4. आवेदन करने के पश्चात यदि आवेदन निरस्त हो जाता है तो विद्यालय द्वारा आवश्यक सुधार कर 15 दिवस के भीतर पुनः आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन निरस्त होने से भी विद्यालय के अपनी कमियों के संबंध में प्रतिपुष्टि प्राप्त होगी एवं उनके द्वारा उक्त कमियों में सुधार कर पुनः आवेदन किया जाना अपेक्षित होगा। यदि विद्यालयें को आवश्यकता प्रतीत हो तो वे जिलेवार एसआईक्यूई प्रशिक्षित केआरपीज की सूची अनुसार अपने विद्यालय की एसआईक्यूई सम्बन्धित कमियों की पूर्ति/ समाधान हेतु इन केआरपीज से सम्पर्क कर मदद प्राप्त कर सकते हैं। (संलग्न–4) जिन विद्यालयों का अगले चरण के लिए चयन होता है उन्हे यह सूचना शाला दर्पण पेज पर दिखाई देगी।
5. अवलोकन के दौरान कक्षा 1 से 5 के अध्यापकों के साथ प्रधानाचार्य का रहना अत्यावश्यक है। केआरपी एवं जिला कोर समिति द्वारा विद्यालय अवलोकन के समय प्रधानाचार्य/Head teachers/शिक्षक की भूमिका समझना अवलोकन का एक आवश्यक हिस्सा है।
6. प्रत्येक विद्यालय में 'एसआईक्यूई शैक्षणिक गुणवत्ता एवं प्रशस्ति प्रकिया' की एक फाइल संधारित की जायेगी जिसमें –
   - जिले के साथ हो रहे पत्राचार/प्रपत्र की प्रति रखी जानी है।
   - केआरपी/कोर–समिति द्वारा भरे अवलोकन प्रपत्र एवं सत्यापन प्रक्रिया की हस्ताक्षरित प्रति भी रखी जानी है।
   - विद्यालय अवलोकन और विद्यालय सत्यापन प्रक्रिया के समस्त प्रपत्रों/दिशानिर्देशों की प्रतियां भी रखी जानी है।
7. विद्यालयों को अवलोकन प्रपत्रों से शाला दर्पण पर प्रतिपुष्टि प्रदान की जायेगी जो कि सिस्टम द्वारा स्वयं ही उत्पन्न होती है। इस प्रतिपुष्टि को देखकर शाला प्रधान अपने विद्यालय में एसआईक्यूई निर्धारित कक्षा कक्षों एवं सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में आवश्यक सुधार कर सकेंगे।

केआरपी के लिए दिशा–निर्देश

केआरपी उन्हें माना गया है जिन्हें राज्य द्वारा एसआईक्यूई पर प्रशिक्षण दिया गया हैं यह प्रधानाचार्य, डाइट फैकल्टी, व्याख्याता, वरिष्ठ व्याख्याता या द्वितीय श्रेणी अध्यापक भी हो सकते हैं।

1. केआरपी को विद्यालय अवलोकन की सूचना उनके विद्यालय लॉगइन पर एक लैटर के साथ प्राप्त होगी। यह लैटर डाइट प्रधानाचार्य द्वारा भेजा गया होगा।
2. केआरपी अपने साथ (स्वयं के विद्यालय से) एक सहयोगी व्यक्ति को ले जाने के लिए स्वतंत्र हैं। यह व्यक्ति प्राथमिक कक्षाओं के एसआईक्यूई पर प्रशिक्षित होना चाहिए।
3. केआरपी द्वारा चयन होने के पश्चात 15 दिवस के अन्दर विद्यालय अवलोकन किया जाकर अवलोकन प्रपत्र को ऑनलाइन फीड किया जाना अनिवार्य होगा।
4. केआरपी अवलोकन प्रपत्र को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अवलोकन के पश्चात अवलोकन प्रपत्र पर संस्था प्रधान एवं केआरपी द्वारा हस्ताक्षर किये जाकर इस हस्ताक्षरित प्रपत्र की एक प्रति विद्यालय को आवश्यक रूप से दी जानी है।
5. केआरपी द्वारा अपने पदस्थापन स्थान/विद्यालय के लॉगिन से शाला दर्पण पर लॉगिन करने पर दिखाये गये सर्टिफिकेशन प्रक्रिया के लिंक (अवलोकन प्रपत्र प्रविष्टि) दबाने पर उनके फोन पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसके प्रयोग से केआरपी स्वयं द्वारा किये गये अवलोकन का अवलोकन प्रपत्र ऑनलाइन भर सकेगा।
6. यह ध्यान रखा जाए कि सबमिट बटन दबाने से पूर्व ऑनलाइन प्रपत्र को कितनी भी बार 'सेव' (save) किया जा सकता है परन्तु 'सबमिट' (submit) बटन दबाने के पश्चात प्रपत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

कोई भी समस्या आने पर शाला दर्पण/एसआईक्यूई सैल रमसा कार्यालय जयपुर से सम्पर्क कर सकते हैं।

जिला कोर समिति के अधिकारियों के लिए दिशा–निर्देश

- विद्यालय प्रतिपुष्टि एवं सर्टिफिकेशन जिला कोर समिति की जिम्मेदारी है। यह प्रक्रिया जिले में एसआईक्यूई कार्यक्रम को कक्षाओं में सुदृढ़ क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
- विद्यालय अवलोकन के दो चरण हैं। पहला 'विद्यालय सत्यापन प्रक्रिया' और दूसरा 'विद्यालय प्रमाणीकरण' प्रक्रिया। इन दोनों प्रक्रियाओं में अवलोकन प्रपत्र और प्रगति अकादमिक प्रभारी (डाइट प्राधानाचार्य) के लॉगइन आईडी से देखा जा सकता है।
- विद्यालय द्वारा आवेदन करने के पश्चात डाइट प्रधानाचार्य को ऑनलाइन उन सभी विद्यालयों का नाम दिखाई देगा एवं इन सभी विद्यालयों को अवलोकन करने के लिए केआरपी का आवंटन करने का भार डाइट प्रधानाचार्य पर होगा। राज्य स्तर से जिलेवार केआरपी के नाम की सूची प्रत्येक डाइट प्रभारी को ऑनलाइन उपलब्ध होगी। विद्यालय अवलोकन के लिए केवल उपरोक्त सूची में नामित केआरपी में से ही आवंटन किया जा सकेगा। आवश्यकता पडने पर डाइट द्वारा उपरोक्त सूची में नए केआरपीज का नाम जोड़ने एवं हटाने का भी प्रावधान है। इस कार्य में कोई समस्या आने पर शाला दर्पण सैल, जयपुर से संपर्क किया जा सकता है। डाइट द्वारा केआरपी को एसएमएस द्वारा Reminder देने का भी प्रावधान किया गया है।

- चयनित विद्यालयों का अवलोकन केआरपी द्वारा किया जायेगा। अवलोकन करके वे अपने विद्यालया का लॉग इन ID के साथ अवलोकन प्रपत्र को भरेंगे। सभी विद्यालय जिनका स्कोर 2.75 या अधिक होगा, डाइट प्रधानाचार्य को अपने लॉग इन पासवर्ड से शाला दर्पण पर दिखाई देगा। केआरपीज तथा विद्यालय के बीच समन्वयन एवं उनकी सहभागिता करवाना भी जिला कोर समिति की जिम्मेदारी है।
- केआरपी द्वारा विद्यालय अवलोकन करने के पश्चात सत्यापन किये जाने के बाद जिन विद्यालयों को 2.75 या इससे अधिक स्कोर प्राप्त होता है उन्हे विद्यालय सर्टिफिकेशन प्रक्रिया के लिए चयनित किया जायेगा। जिला कोर समिति द्वारा निर्धारित 2 सदस्यों की टीम द्वारा सर्टिफिकेशन/प्रमाणीकरण हेतु विद्यालय अवलोकन किया जायेगा। कोर–समिति द्वारा किए गए अवलोकन के अवलोकन प्रपत्र की एक हस्ताक्षरित प्रति विद्यालय को आवश्यक रूप से दी जानी है।
- अवलोकन पश्चात डाइट प्रधानाचार्य द्वारा किसी भी विद्यालय के शाला दर्पण लॉगइन आईडी पासवर्ड से अवलोकन प्रपत्र भरा जायेगा तथा प्रक्रिया का समापन किया जाएगा।
- सत्यापन एवं प्रमाणीकरण की पूर्ण प्रक्रिया का पर्यवेक्षण जिला कोर समिति द्वारा किया जायेगा एवं जिला कोर समिति द्वारा इसकी प्रतिमाह समीक्षा अपेक्षित है जिसका प्रतिवेदन राज्य–स्तर पर निदेशालय माध्यमिक शिक्षा एवं रामाशिप जयपुर को भेजा जाना अनिवार्य होगा।

(सुरेश चन्द्र)
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद,
जयपुर

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप., जयपुर।
3. निजी सहायक आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/ प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. निजी सहायक निदेशक एस.आई.ई.आर.टी उदयपुर को देकर अनुरोध है कि उक्त कार्य में सहयोग हेतु डाइट प्रधानाचार्य को निर्देश प्रदान करने का श्रम करावें।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप., जयपुर।
7. उपायुक्त (एस.आई.क्यू.ई.) रामाशिप जयपुर।
8. निदेशक, बोध शिक्षा समिति कूकस जयपुर।
9. तकनीकी निदेशक, (NIC), रामाशिप. जयपुर।
10. उपनिदेशक, शाला दर्पण, रामाशिप. जयपुर।
11. जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.) एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिला, को देकर लेख है कि संलग्न निर्देशों के अनुरूप समयबद्व कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
12. यूनिसैफ, जयपुर।
13. प्रधानाचार्य, संबंधित विद्यालय समस्त जिला।
14. कार्यालय प्रति।

उपायुक्त
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद,
जयपुर

लग्नक –1

एसआइक्यूई विद्यालय विकास सूचक

शिक्षण, सतत आकलन योजना एवं समीक्षा प्रक्रिया प्रदर्शन सूचक

उपसूचक	चरण 1	चरण 2	चरण 3
शिक्षण योजना	• शिक्षण योजना की आरम्भिक समझ का अभाव। • योजना निर्माण सामग्री (पुस्तक,पाठ्यक्रम, चैकलिस्ट आदि के उपयोग) की समझ का अभाव। • कक्षा स्तर/समूहवार (सामूहिक, उपसमूह व व्यक्तिगत) योजना बनाने की समझ का अभाव। • योजना के लिए उद्देश्यों के निर्धारण की समझ का अभाव।	• नियमित रूप से योजना का निर्माण किया जा रहा है। • योजना निर्माण में आवश्यक सामग्री व संसाधन का उपयोग किया जा रहा है। • कक्षा स्तर/समूहवार (सामूहिक, उपसमूह व व्यक्तिगत) योजना बनाई जा रही है। • योजना के उद्देश्यों के सापेक्ष गतिविधि व शिक्षण सामग्री का चयन।	• योजना तार्किक है, सभी बच्चों की आवश्यकता के अनुसार सामूहिक, उपसमूह व व्यक्तिगत कार्यों को शामिल किया गया है। • योजना के अनुसार तैयारी भी की गई है। • योजना में समीक्षा व पूर्व आकलन का अर्न्तसंबंध दिखाई देता है। • योजना में पाठ्यपुस्तकों के अलावा बाहरी गतिविधियों का समावेश किया जा रहा है। • योजना क्रियान्वयन में बच्चों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है।
सतत आकलन योजना	• सतत आकलन योजना की आरम्भिक समझ का अभाव। • सतत आकलन योजना निर्माण मे चैकलिस्ट के उपयोग की समझ का अभाव। • कक्षा स्तर/समूहवार (सामूहिक, उपसमूह व व्यक्तिगत) आकलन के गतिवधियों के निर्धारण की समझ का अभाव।	• सतत आकलन योजना नियमित रूप से बनाई जा रही है। • सतत आकलन योजना निर्माण मे चैकलिस्ट व अन्य स्रोतो का उपयोग होने लगा है।	• सतत आकलन योजना के लिए गतिविधियों /टूल का उपयोग होने लगा है। • योजना में किन बच्चों का आकलन करना इसका समावेश होने लगा है। • बच्चों के सभी आयामों की आकलन योजना बनाई जाने लगी है।

समीक्षा	• समीक्षा क्यो की जाती है, इसकी समझ का अभाव। • समीक्षा का उपयोग योजना बनाने के लिए किया जाना है, इसकी समझ का अभाव। • समीक्षा के बिन्दुओं (सहभागिता, कठिनाई, योजना में बदलाव एवं अधिगम उपलब्धि) की समझ का अभाव।	• समीक्षा साप्ताहिक व पाक्षिक नियमित रूप से की जाने लगी है। • समीक्षा का उपयोग योजना बनाने में किया जाने लगा है। • दिये गये सभी बिन्दुओ की समीक्षा (सहभागिता,कठिनाई, योजना में बदलाव एवं अधिगम उपलब्धि) के आधार पर समीक्षा होने लगी है।	• समीक्षा, आकलन की प्रक्रिया के रूप में दिखाई देने लगी है। • समीक्षा के माध्यम से योजना व आकलन की प्रभावशीलता का सही चित्र दिखाई देने लगा है।

कक्षा–कक्ष, प्रक्रिया वातावरण एवं साजसज्जा प्रदर्शन सूचक

सूचक	चरण 1	चरण 2	चरण 3
कक्षा–कक्ष प्रक्रिया , वातावरण एवं साज सज्जा।	• बच्चों की भागीदारी की सुनिश्चितता का अभाव। • विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री / गतिविधियों की समझ का अभाव। • कार्य/गतिविधि की आवश्यकता बैठक व्यवस्था बनाने की समझ का अभाव। • **कक्षा स्तर/ समूहवार शिक्षण कार्य करने का अभाव।** • उच्च स्तरीय कौशलों (प्रश्न पूछना, चर्चा करना, खोज–बीन, निष्कर्ष निकालना इत्यादि प्रक्रियाओं) पर कार्य करवाने का अभाव। • कक्षा वातावरण निर्माण (बच्चों के कार्य कर डिस्पले, सहा. शिक्षण सामग्री, चार्ट, चित्र आदि) की समझ का अभाव।	• केवल कुछ ही बच्चे सहज है और शिक्षक से प्रश्न आदि पूछते हैं। कक्षा कार्य में कुछ बच्चों की ही भागीदारी है। • पुस्तक के साथ साथ कभी कभी चर्चा करते है, एव टी.एल.एम. का उपयोग किया जाने लगा है। • बच्चे व शिक्षक दोनों गोले में स्थाई रूप से एक स्तर पर बैठे हैं। • **कक्षा स्तर के अनुसार योजना बनी हुई है । कक्षा में तैयारी के स्तर के अनुसार कार्य किया जा रहा है।** • योजना में प्रश्न पूछना, चर्चा करना, खोज–बीन, निष्कर्ष निकालना इत्यादि प्रक्रिया का समावेश है, लेकिन अधिकतर प्रश्नों के उत्तर शिक्षक के द्वारा ही दिये जाते हैं।	• सभी बच्चों को समान अवसर उपलब्ध है और सभी को प्रोत्साहित करते है। सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। • विषयवस्तु पर शिक्षण से पूर्व बातावरण निर्माण के लिए बालगीत/कविताए आदि की जाती है। • **शिक्षण कार्य से बच्चों के पूर्व ज्ञान को जोड़कर, गतिवधि व टीएलएम के साथ किया जाता है।** • बच्चे छोटे–छोटे उपसमूह बनाकर बैठे हैं व शिक्षक अलग–अलग उपसमूहों में जाकर मदद कर रहे हैं। तथा आवश्यकता के अनुसार बैठक व्यवस्था में बदलाव करते है। • कक्षा स्तर से नीचे के बच्चों के साथ पूर्ण तैयारी व सामग्री के साथ विशेष शिक्षण पैकेज के साथ कार्य किया जाता हैं।

	• बच्चों के विकास में कला के योगदान की समझ का अभाव।	• **पाठ्यपुस्तक ब्लैकबोर्ड के साथ–साथ कभी कभी कुछ खेल, गतिविधि की जाती है।** • बच्चों के कार्य का डिस्पले तो किया जाता है लेकिन कार्य को बिलकुल नहीं बदला जाता। • शिक्षक की अनुपस्थिति या बच्चों को व्यस्त रखने के लिए कला पर कार्य किया जाता है।	• **अवलोकन, प्रश्न पूछना, चर्चा करना, खोज–बीन, निष्कर्ष निकालना इत्यादि प्रक्रिया बच्चों के समूहों में घटित होती दिखाई देती है। तथा बच्चें अपने स्तर पर उत्तर खोजने का प्रयास करते है और शिक्षक मददगार की भूमिका में हैं।** • विषयवस्तु पर वैविध्यतापूर्ण बालकेन्द्रित गतिविधियाँ जिनमें बालगीत, खेल, कहानी, कला, सहायक शिक्षण सामग्री इत्यादि का समावेश होता है। • बच्चों को परस्पर सीखने का अवसर दिया जाता है। • डिस्पले किया जाता है, और प्रति योजना डिस्पले कार्य बदला जाता है • कला को विषय के रूप में मानकर नियमित कला कार्य किया जाता है।

आकलन/मूल्यांकन प्रदर्शन सूचक

आकलन/ मूल्यांकन	• रचनात्मक व योगात्मक आकलन को संधारित/दर्ज करने की समझ का अभाव। • योगात्मक आकलन हेतु प्रश्न पत्र निर्माण की समझ का अभाव। • आकलन की प्रक्रिया व तरीकों की समझ का अभाव।	• निर्धारित समयावधि में रचनात्मक आकलन संधारित किया जा रहा है। • योगात्मक आकलन केवल पेपर पेन्सिल टेस्ट, रचनात्मक आकलन, पोर्टफोलियों सभी के आधार पर ही संधारित है। • बच्चों व शिक्षक के द्वारा समूह, परस्पर व स्वआकलन सभी का उपयोग करते हुए आकलन किया जा रहा है।	• निर्धारित समयावधि में रचनात्मक आकलन संधारित था। और बच्चों के शैक्षिक स्तर अनुसार संधारित होने लगा है। • योगात्मक आकलन पेपर पेन्सिल टेस्ट, रचनात्मक आकलन, पोर्टफोलियों सभी के आधार पर ही संधारित हाने लगे है। • योगात्मक आकलन के टूल गुणवत्तापूर्ण है। (टैक्सोनामी, अधिगम क्षेत्र व बच्चों के स्तर के अनुसार) • सभी दस्तावेजों का उपयोग करते हुए बच्चे व शिक्षक के द्वारा समूह, परस्पर व स्वआकलन करने लगे है।

संस्था प्रधान/हैडटीचर प्रदर्शन सूचक

सूचक	चरण 1	चरण 2	चरण 3
संस्था प्रधान के द्वारा संबलन	• निदेशालय द्वारा जारी संस्था प्रधान की भूमिका से संबंधित दिशा–निर्देशों का अध्ययन न करना। • **संस्था प्रधान की भूमिका की समझ का अभाव।** • सीसीपी/सीसीई प्रक्रिया की समझ का अभाव।	• निदेशालय द्वारा जारी संस्था प्रधान की भूमिका से संबंधित दिशा–निर्देशों के अनुसार कक्षा अवलोकन करने लगे है। • कक्षा अवलोकन को निर्धारित प्रपत्र में दर्ज करने लगे हैं। • प्राथमिक शिक्षकों के साथ समीक्षा बैठक करने लगे है।	• प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापाकों को आवश्यक संबलन देना। • कार्यक्रम के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करना। • प्राथमिक कक्षाओं में स्वयं संस्था प्रधान या हैडटीचर द्वारा एक या दो कालांश में शिक्षण कार्य करना। • बच्चों के अधिगम स्तरों को जाँचना व विशेष प्रयास करना।

विद्यालय आवेदन, सत्यापन एवं प्रमाणीकरण (सर्टिफिकेशन) की प्रक्रिया (Pictorial)

1. विद्यालय शाला दर्पण पर अपने (लॉगइन आईडी और पासवर्ड से) विद्यालय के होम पेज पर जाएँ।

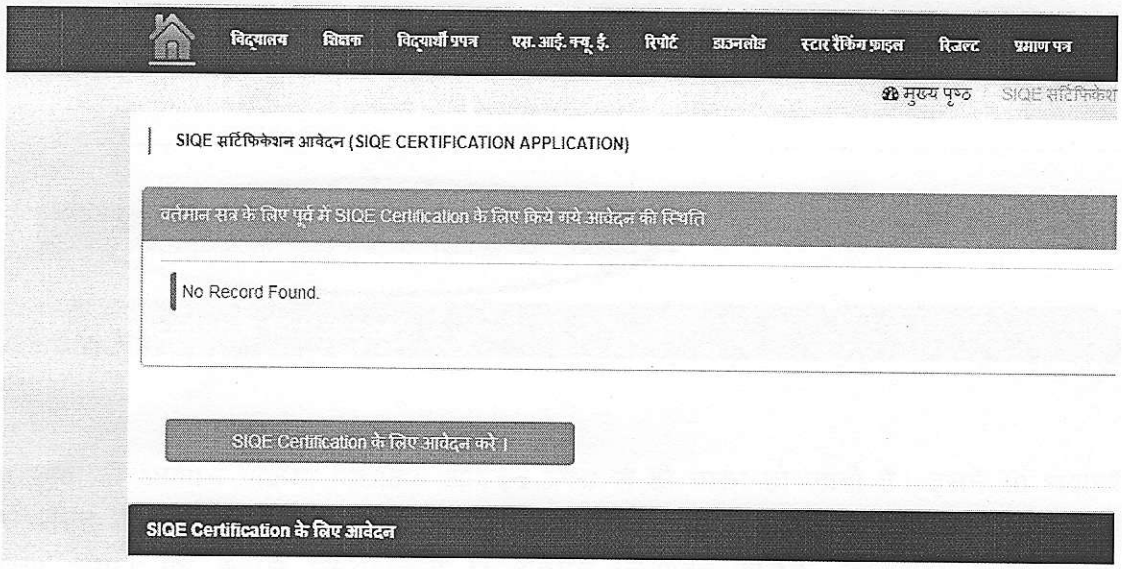

2. ऊपर दिए गए लिस्ट में से 'प्रमाण पत्र' को चुनें।

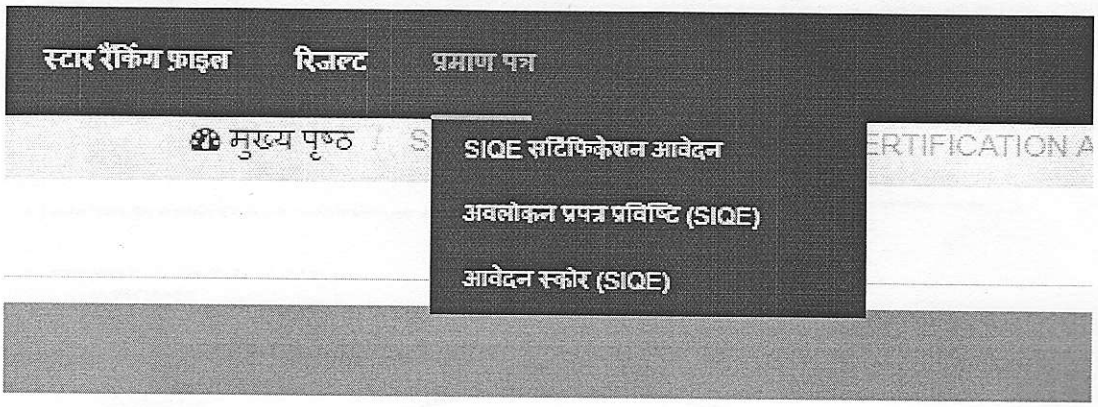

3. आपके समक्ष लिस्ट में 'एसआईक्यूई सर्टिफिकेशन आवेदन' चुने और नीचे दिखाए गए बटन पर क्लिक करें।

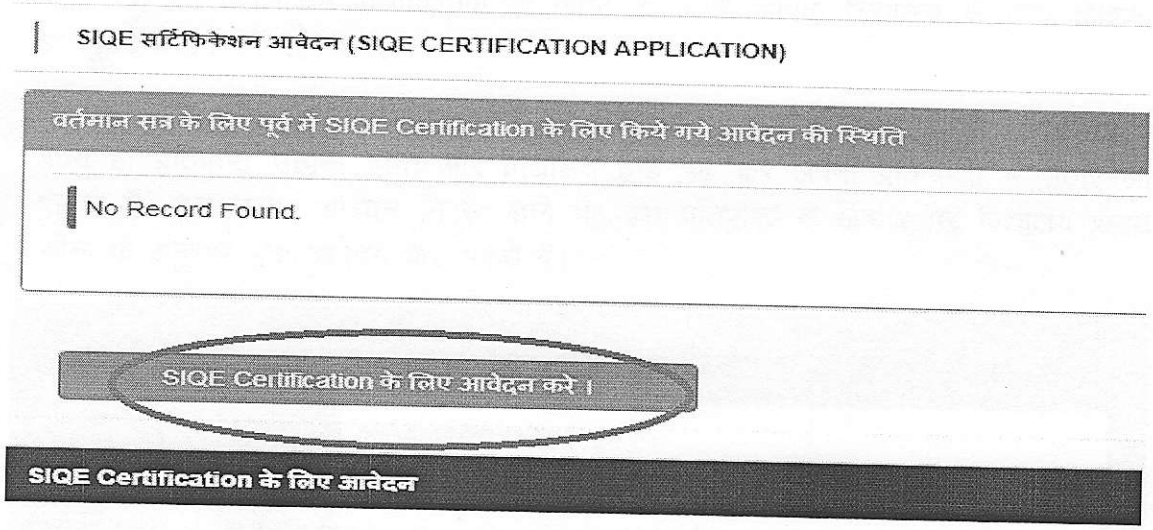

4. विद्यालय की आवेदन प्रक्रिया विद्यालय आवेदन प्रपत्र से ही प्रारंभ हो जाती है। इसमें 10 सवालों का संग्रह है, जिसको प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापकों और विद्यालय के प्रधानाचार्य को साथ में भरना होगा। यह सवाल एसआईक्यूई के अंतर्गत प्रस्तावित योजना, कक्षा–कक्षीय प्रक्रियाओं, आकलन के पक्षों पर आधारित हैं। इन सवालों का जवाब दे कर 'सबमिट' बटन दबाएँ।

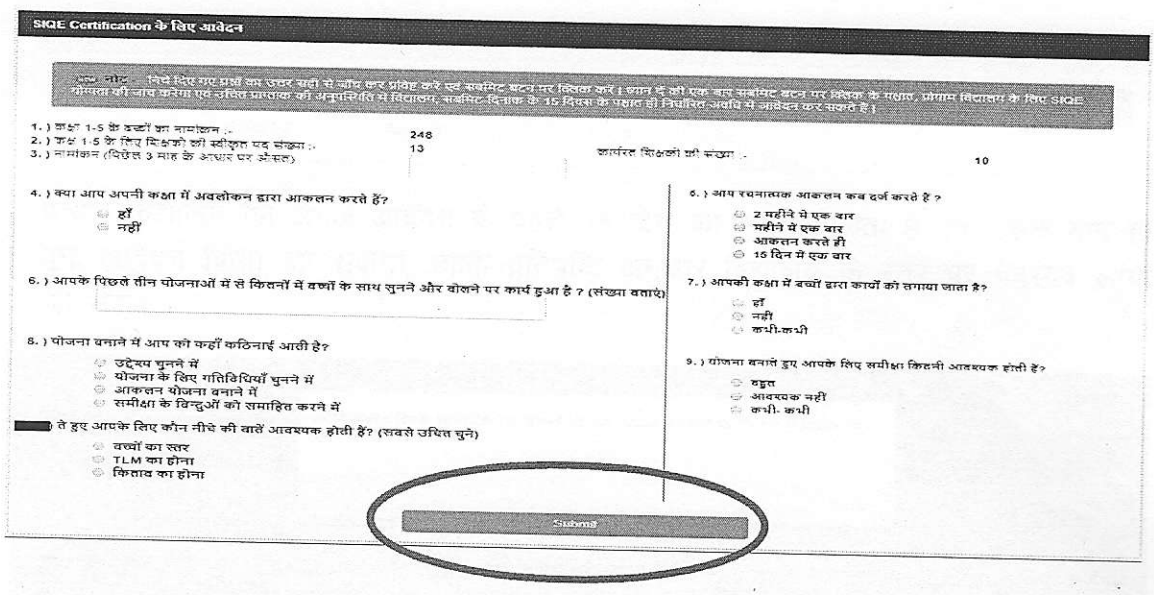

5. जैसा कि पहले भी बताया गया है कि एसआईक्यूई शैक्षणिक गुणवत्ता एवं प्रशस्ति प्रक्रिया आपके विद्यालयों हेतु विश्वसनीय प्रतिपुष्टि स्थापित करने के लिए है। इस हेतु आपके विद्यालयों का अवलोकन अत्यावश्यक हो जाता है, ताकि आपके विद्यालय के लिए विशिष्ट प्रतिपुष्टि प्रदान की जा सकें।

6. जब कभी भी विद्यालय इन सभी सवालों का सही जवाब नहीं दे पाता हैं, तो सिस्टम द्वारा स्वयं ही प्रतिपुष्टि उत्पन्न होगी और विद्यालय इन्हें पढ़ कर अपनी प्रक्रियाओं में सुधार ला सकते हैं। इस प्रकार आवेदन निरस्त होने पर इस प्रतिपुष्टि के आधार पर विद्यालय समय सीमा के अनुसार पुनः आवेदन कर सकते हैं।

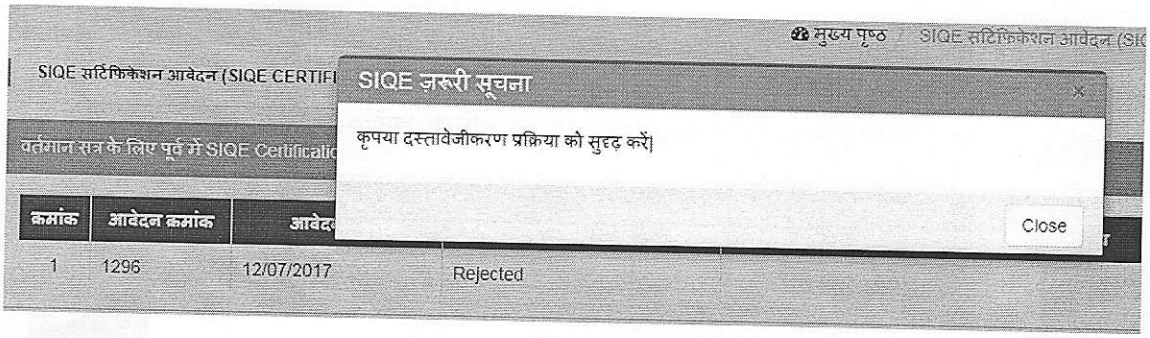

7. साथ ही प्रत्येक विद्यालय के पेज पर इस प्रक्रिया के अंतर्गत स्टेटस भी दिखाई देगा।

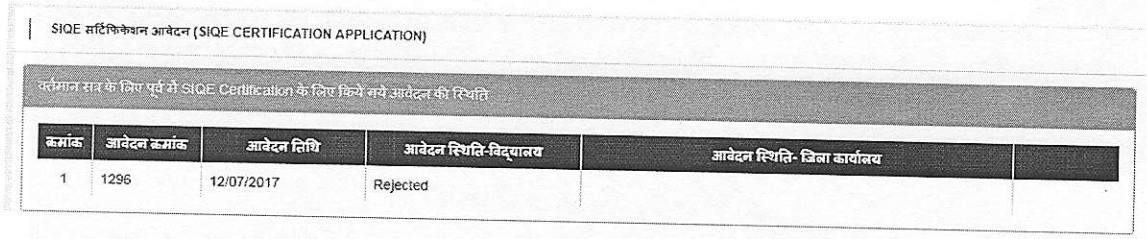

8. प्रत्येक विद्यालय को अगले आवेदन से पहले 15 दिन का समय मिलता है एवं उसके बाद ही पुनः आवेदन किया जा सकेगा, ताकि प्रतिपुष्टि अनुसार विद्यालय के स्तर पर बदलाव लाया जा सकें।

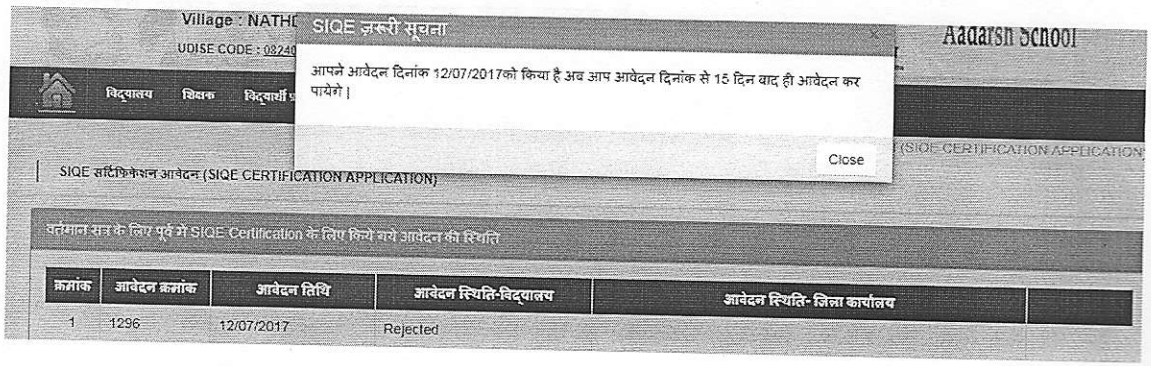

9. 'विद्यालय आवेदन प्रक्रिया' के सभी सवालों के सही जवाब देने पर सिस्टम विद्यालय की तरफ से कोर–समिति को आवेदन भेजता है (यह सिस्टम के ऊपर विद्यालय को दिखाई देता है)।

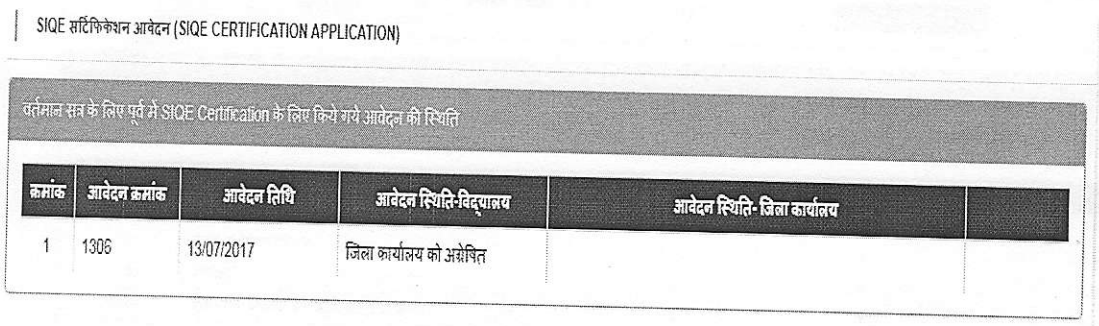
SIQE सर्टिफिकेशन आवेदन (SIQE CERTIFICATION APPLICATION)

वर्तमान सत्र के लिए पूर्व में SIQE Certification के लिए किये गये आवेदन की स्थिति

क्रमांक	आवेदन क्रमांक	आवेदन तिथि	आवेदन स्थिति-विद्यालय	आवेदन स्थिति- जिला कार्यालय	
1	1306	13/07/2017	जिला कार्यालय को अग्रेषित		

10. जब कोर–समिति के सदस्य विद्यालयों के सत्यापन के लिए केआरपी चुनते हैं, तो यह प्रगति विद्यालय को ऑनलाइन प्रदर्शित होगी।

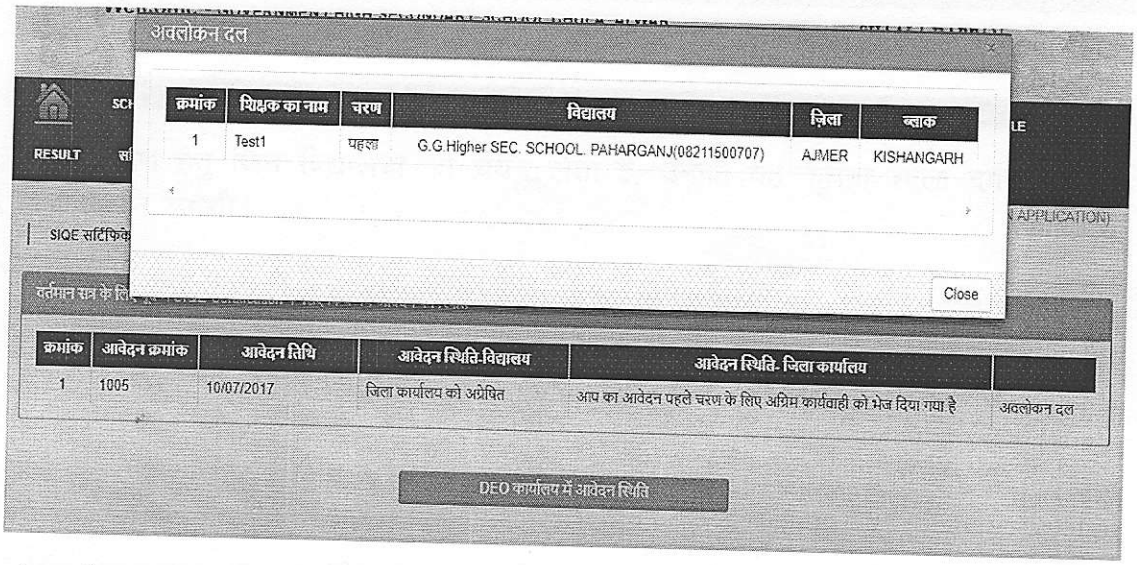

11. केआरपी का आवंटन होते ही विद्यालय का अवलोकन अगले 15 दिन के भीतर किया जाएगा।

12. केआरपी के अवलोकन पश्चात विद्यालय को एक गहन प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। यह विद्यालय अपने शाला दर्पण पेज पर देख सकते हैं।

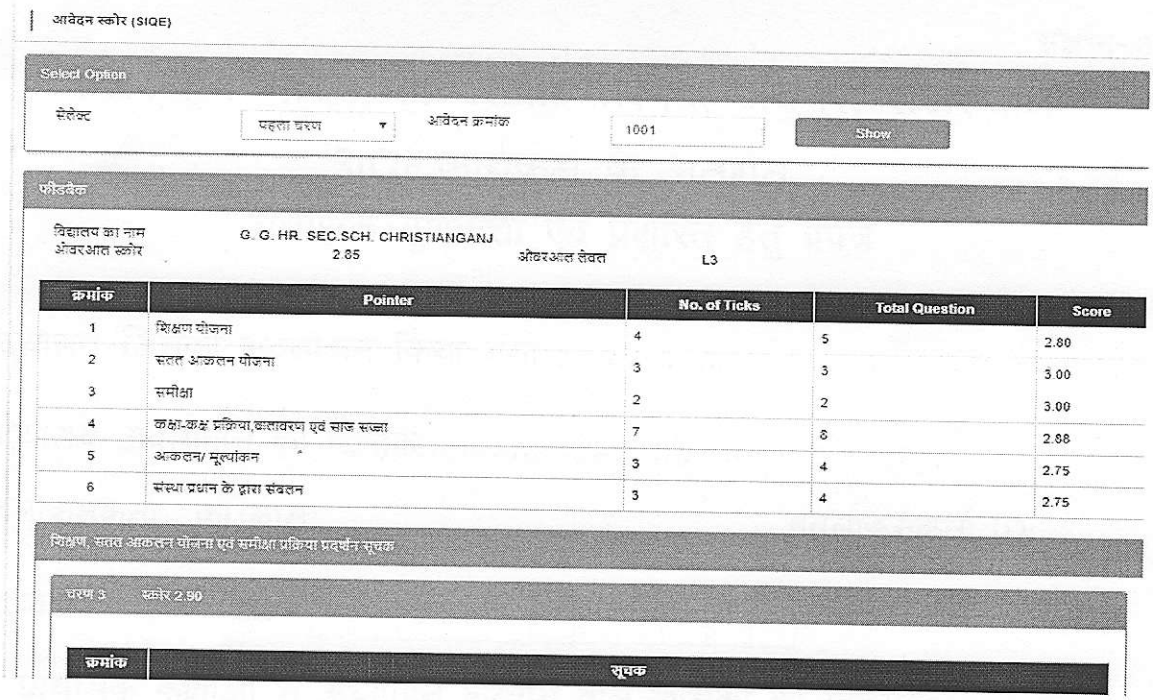

आवेदन स्कोर (SIQE)

Select Option

सेलेक्ट: पहला चरण | आवेदन क्रमांक: 1001 | Show

फीडबैक

विद्यालय का नाम: G. G. HR. SEC.SCH. CHRISTIANGANJ
ओवरआल स्कोर: 2.85 | ओवरआल लेवल: L3

क्रमांक	Pointer	No. of Ticks	Total Question	Score
1	शिक्षण योजना	4	5	2.80
2	सतत आकलन योजना	3	3	3.00
3	समीक्षा	2	2	3.00
4	कक्षा-कक्ष प्रक्रिया,वातावरण एवं साज सज्जा	7	8	2.88
5	आकलन/ मूल्यांकन	3	4	2.75
6	संस्था प्रधान के द्वारा संवलन	3	4	2.75

शिक्षण, सतत आकलन योजना एवं समीक्षा प्रक्रिया प्रदर्शन सूचक

चरण 3 स्कोर 2.90

क्रमांक	सूचक

13. अगले चरण हेतु जिन विद्यालयों का चयन होता है, उनको यह सूचना शाला दर्पण पेज पर दिखाई देने लगेगी।

14. इस प्रकिया हेतु कोर समिति द्वारा अवलोकन किया जाना है जिसके पश्चात विद्यालय के लिए एक और प्रतिपुष्टि उत्पन्न होती है। जिन विद्यालयों के स्कोर 2.75 से अधिक होगा उन्हे प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाना हैं।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर, राजस्थान

SIQE कार्यक्रम के अंतर्गत

शैक्षणिक गुणवत्ता एवं प्रशस्ति हेतु प्रपत्र

विद्यालय जिसका अवलोकन किया गया : .....

विद्यालय अवलोकन का दिनांक.....

अवलोकनकर्ता का नाम: _____ अवलोकनकर्ता ID:

विद्यालय डाइस कोड: | | | | | | | | | | | |

(1) प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन करवाने वाले शिक्षकों का विवरण:

क्र.सं.	नाम	इस सत्र में SIQE प्रशिक्षित हाँ/नहीं
1		
2		
3		
4		
5		
6		

(2) कुल नामांकन: _____

(3) अवलोकन के दिन प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति: .....

क्र.सं.	अवलोकन बिन्दु	
1	**कक्षा-कक्षीय स्थिति**	
1.1	कक्षा की बैठक व्यवस्था - (1) पंक्तिबद्ध (2) अर्द्धगोलाकार (3) छोटे उपसमूहों में (4) आवश्यकतानुसार बदलाव	

1.2	सीखने-सिखाने का मुख्य तरीका - (1) पाठ्यपुस्तक या बोर्ड की सहायता से यांत्रिक रूप से (2) पाठ्यपुस्तक या बोर्ड के साथ संवाद व चर्चा का प्रयोग (3) कार्यपत्रक या वर्कशीट का प्रयोग (4) टीएलएम आधारित गतिविधि का प्रयोग	
1.3	डिस्पले की स्थिति - (1) कोई डिस्पले नहीं है। (2) डिस्पले है पर विषय से सम्बन्धित नहीं है। (3) सिखाने हेतु डिस्पले है। (4) सिखाने हेतु डिस्पले के साथ.साथ बच्चों का कार्य भी लगाया गया है।	
2	**शिक्षण अधिगम व्यवस्था एवं प्रक्रिया**	
2.1	क्या योजना नियमित रूप से बन रही है ?	हाँ / नहीं
2.2	क्या चैकलिस्ट के समूहों के अनुसार कक्षा में गतिविधि की जा रही है ?	हाँ / नहीं
2.3	क्या समूह दो (कक्षा स्तर से नीचे) के बच्चों के साथ स्तरानुसार काम किया जा रहा है ?	हाँ / नहीं
2.4	क्या बच्चों को व्यक्तिगत रूप से कार्य/अभ्यास करने का अवसर भी दिया जाता है ?	हाँ / नहीं
2.5	क्या बच्चों को छोटे-छोटे समूहों में कार्य करने का अवसर मिलता है ?	हाँ / नहीं
2.6	क्या कक्षा में सभी बच्चों की सक्रिय सहभागिता रहती है ?	हाँ / नहीं
2.7	क्या शिक्षण कार्य में बच्चों के अनुभव/पूर्व ज्ञान का उपयोग किया जा रहा है ?	हाँ / नहीं
2.8	क्या विषय के साथ जोड़ कर कला कार्य करवाया जा रहा है ? (1) कला के योगदान की समझ की कमी (2) आंशिक समझ या व्यस्त रखने के लिए (3) हाँ करवाया जाता है (4) सभी विषयों में करवाया जाता है	
2.9	क्या शिक्षण में खेल/गतिविधियों को शामिल किया जा रहा है ?	हाँ / नहीं
2.10	क्या बच्चों के साथ उच्चस्तरीय कौशलों जैसे प्रश्न पूछना निष्कर्ष निकालना तर्क करना एवं भाषा के जटिल विचारों को सम्प्रेषित कर पाना इत्यादि पर कार्य किया जा रहा है ?	हाँ / नहीं
2.11	समय विभाग चक्र में प्रत्येक कक्षा को पुस्तकालय हेतु कालांश दिया गया है ?	हाँ / नहीं
2.12	क्या बच्चे पुस्तकालय का उपयोग करते हैं ?	हाँ / नहीं

2.13	क्या सतत आकलन नियमित रूप से किया जा रहा है ?	हाँ / नहीं
2.14	समीक्षा की समयावधि पर योजना पुस्तिका में समीक्षा कर कक्षा में उपयोग किया गया है ?	हाँ / नहीं
2.15	क्या समीक्षा के सभी आवश्यक बिन्दुओं पर चर्चा कर योजना निर्माण किया गया है ?	हाँ / नहीं
2.16	क्या अध्यापकों को योजना डायरी के उपयोग की समझ है ?	हाँ / नहीं

3.	शिक्षण-आकलन योजना एवं क्रियान्वयन	
3.1	क्या बच्चों का आधार रेखा/पदस्थापन आकलन कर शैक्षिक स्तर दर्ज किया है ?	हाँ / नहीं
3.2	क्या कमजोर उपलब्धि वाले बच्चों के लिए अलग से योजना बनाई जाती है ?	हाँ / नहीं
3.3	क्या शिक्षण-आकलन योजना का निर्माण पाक्षिक किया जा रहा है ?	हाँ / नहीं
3.4	क्या शिक्षण-आकलन योजना की साप्ताहिक व पाक्षिक समीक्षा की जा रही है ?	हाँ / नहीं
3.5	क्या समीक्षा एवं योजना का सम्बन्ध है ?	हाँ / नहीं
3.6	क्या पोर्टफोलियो का संधारण किया जा रहा है ?	हाँ / नहीं
3.7	बच्चों द्वारा किए गए अभ्यास कार्य/गृहकार्य /पोर्टफोलियो के पत्रकों की नियमित जाँच की गई है और आवश्यकतानुसार टिप्पणी दर्ज की गई है ? (मय दिनांक एवं हस्ताक्षर)	हाँ / नहीं
3.8	क्या चैकलिस्ट में सूचकवार ग्रेड दर्ज हैं ?	हाँ / नहीं
3.9	बच्चों द्वारा किए गए अभ्यास कार्य/गृहकार्य की नियमित जाँच एवं सुधारात्मक कार्य करते हैं?	हाँ / नहीं
3.10	क्या समयावधि में चैकलिस्ट भरी जा रही है ?	हाँ / नहीं
3.11	योगात्मक आकलन में मौखिक आकलन का प्रयोग किया है ?	हाँ / नहीं
3.12	आकलन किन-किन तरीकों से किया गया है ? (1) मौखिक (2) लिखित (3) उपर्युक्त दोनों (4) परस्पर आकलन, स्व आकलन के साथ लिखित	

4.	संस्था प्रधान एवं हैडटीचर की भूमिका	
1	विद्यालय की शैक्षिक समीक्षा/समस्याओं पर संस्थाप्रधान/ हैडटीचर शिक्षकों के साथ बैठक करते हैं ?	हाँ / नहीं
2	संस्थाप्रधान/ हैडटीचर द्वारा विद्यालय से संबंधित दस्तावेजों का समय पर संधारण किया जाता है ?	हाँ / नहीं
3	क्या संस्थाप्रधान प्राथमिक कक्षाओं का अवलोकन पत्र भरते हैं ?	हाँ / नहीं
4	क्या हैडटीचर प्राथमिक कक्षाओं का अवलोकन पत्र भरते हैं ?	हाँ / नहीं
5	क्या संस्थाप्रधान प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाते हैं ?	हाँ / नहीं
6	समय विभाग चक्र के अनुसार हैडटीचर द्वारा प्राथमिक कक्षा को पढ़ाते हैं ?	हाँ / नहीं
7	क्या संस्थाप्रधान ने प्राथमिक कक्षाओं के लिए सामग्री का नियोजन किया है?	हाँ / नहीं
8	क्या निदेशालय द्वारा निर्देशित संस्थाप्रधान अपनी भूमिकाओं से अवगत हैं ?	हाँ / नहीं
9	क्या संस्थाप्रधान ने प्राथमिक कक्षाओं के लिए योजना बनाई है ?	हाँ / नहीं
10	क्या समीक्षा रजिस्टर संधारित किया जाता है ?	हाँ / नहीं